सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 131 राँची, सोमवार, 28 मार्च, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

28 मार्च, 2022

संख्या-1/नीति-05-07/2022-603--झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018'' (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ-

(1) यह नियमावली ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2022'' कही जायेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में होगा ।

(3) यह नियमावली विभाग द्वारा प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018'' (समय-समय पर यथा संशाधित) के नियम संख्या 19, 23(5) एवं अनुसूची- I की कंडिका 3 एवं 4 में संशोधन/प्रतिस्थापन निम्नवत किया जाता है:-

क्र0	नियम/ अनुसूची	वर्तमान नियम	संशोधित/प्रतिस्थापित नियम
1	नियम 19	खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की कालावधि- (1) इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ प्रारम्भिक तौर पर अगले तीन वर्षो की ब्लॉक अवधि (इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक) के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षो के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त्त के अनुसार किया जा सकेगा । केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ बंदोबस्ती के उपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रदान की जायेंगी तथा अनुवत्री दो वर्षो (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22) में इनका नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा। इस नीति के प्रवृत्त होने के उपरांत विलंब से बंदोबस्त होने वाली अनुज्ञप्तियाँ दिनांक 31.03.2022 तक के लिए ही बंदोबस्ती की जायेंगी । (2) अनुज्ञप्ति अवधि में विखंडित दुकानों एवं अनवीकृत दुकानों की पुनर्बंदोबस्ती, विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दुकान के विखंडित होने के एक सप्ताह के अंदर	खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की कालावधि. इस नियमावली के तहत वर्तमान में कार्यरत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ आगामी वित्तीय वर्ष के एक माह (अप्रैल) के लिए अवधि विस्तार की जायेगी (इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से दिनांक 30.04.2022 तक)। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ, जिनका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत वर्तमान उत्पाद वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व/शर्त्त के अनुसार किया जा सकेगा ।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>बिक्री अधिसूचना पुनः प्रकाशित करते हुए बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जायेगी, जिससे कि सरकार को राजस्व की क्षति न हो ।</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>नियम 23(5)</td><td>अनुज्ञप्ति शुल्क- सफल आवेदक को दुकान की अवस्थिति के अनुसार अनुसूची - 1 में यथावर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा ।</td><td>अनुज्ञप्ति शुल्क- वर्त्तमान अनुज्ञाधारी को दुकान की अवस्थिति के अनुसार अनुसूची - 1 (यथा संशोधित) में वर्णित अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्ति प्राप्ति अथवा विस्तारित अवधि में दुकान संचालन, के पूर्व, एकमुश्त जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुसूची-I कंडिका 3</td><td>विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-
<table>
<tr><th>क्र॰</th><th>अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम</th><th>वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 100000/- (एक लाख)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 75000/- (पचहत्तर हजार)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय</td><td>रू0 50000/- (पचास हजार)</td></tr>
</table></td><td>विदेशी मदिरा की ऑफ दुकान तथा ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-
<table>
<tr><th>क्र॰</th><th>अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम</th><th>वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 100000/- (एक लाख)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 75000/- (पचहत्तर हजार)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय</td><td>रू0 50000/- (पचास हजार)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>क्षेत्र में</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में</td><td>रू0 25000/- (पच्चीस हजार)</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>क्षेत्र में</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में</td><td>रू0 25000/- (पच्चीस हजार)</td></tr>
</table>
स्पष्टीकरण-
1) एक माह के अवधि विस्तार के लिए, खुदरा दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क मासिक समानुपातिक गणना के अनुसार देय होगा।
2) Departmental Stores में मदिरा के दुकान तथा मॉल में विदेशी शराब की ऑफ दुकान हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क मासिक समानुपातिक गणना के अनुसार देय होगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>अनुसूची-I कंडिका 4</td>
<td>
देशी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-
<table>
<tr><td>क्र॰ सं॰</td><td>अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम</td><td>वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 50000/- (पचास हजार)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो</td><td>रू0 40000/- (चालीस हजार)</td></tr>
</table>
</td>
<td>
देशी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-
<table>
<tr><td>क्र॰ सं॰</td><td>अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम</td><td>वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में</td><td>रू0 50000/- (पचास हजार)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सभी नगर परिषद क्षेत्र एवं इनके दो</td><td>रू0 40000/- (चालीस हजार)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में			किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	
		3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)	3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार)
		4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 15000/- (पन्द्रह हजार)	4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 15000/- (पन्द्रह हजार)
					स्पष्टीकरण- एक माह के अवधि विस्तार के लिए खुदरा दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क मासिक समानुपातिक गणना के अनुसार देय होगा।		

3. विद्यमान परिस्थितियों में राजस्व हित एवं उपभोक्ताओं को वैध मदिरा की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के निमित्त अधिसूचना संख्या 471/F दिनांक 15.01.1919 में वर्णित नियम 44 (विभागीय अधिसूचना संख्या 653 दिनांक 26.03.2012 द्वारा यथासंशोधित) जो दुकानों की कालावधि से संबंधित है, में वर्णित प्रावधानों को ''प्रस्तावित अवधि विस्तार", तक के लिए शिथिल करते हुए, उक्त संशोधनों के अनुसार निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनुज्ञप्ति की अवधि विस्तार किया जाना प्रस्तावित है -

i. जिन अनुज्ञप्तियों का अवधि विस्तार दिनांक 30.04.2022 तक के लिए किया जायेगा, उनको विस्तारित अवधि/माह का देय उत्पाद परिवहन कर प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा एवं नियमावली के नियम 23(4) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किये गये अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजन अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा ।

ii. वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल माह का न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का मासिक बँटवारा ''झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" के नियम 25 के अनुरूप ही किया जायेगा ।

iii. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिलावार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) के अनुरूप ही ''अवधि विस्तारित काल", का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) दुकानवार निर्धारित किया जायेगा ।

iv. अनुज्ञाधारी द्वारा, अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से, अद्यतन अवधि तक में ससमय उत्पाद परिवहन कर जमा कर लिया गया हो। यदि उत्पाद परिवहन कर विलंब से जमा किया गया हो, तो तदनुसार विलंब शुल्क भी इनके द्वारा जमा कर लिया गया हो ।

v. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से अद्यतन अवधि तक के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव कर लिया गया हो। यदि न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार को हुई राजस्व क्षति के समतुल्य की राशि दण्ड स्वरूप ससमय कोषागार में जमा कर दी गई हो ।

vi. अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्व क्षति व दुकान संचालन से संबंधित गंभीर अनियमितता दर्ज नहीं की गई हो ।

vii. अनुज्ञाधारी द्वारा विस्तारित अवधि हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमानुसार जमा कर दिया गया हो।

4. मूल नियमावली तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमावली में संशोधित नियम के अतिरिक्त शेष नियम यथावत रहेंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 131 -- 50